कार्यालय चीफॅ वार्डन
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल

क्रमांक 37–47/एम0सी0/चीफॅ वार्डन/21 भोपाल दिनांक 18.01.21

दिनांक 12.01.2021 की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के होस्टल में कक्ष आवंटन के लिए निम्नलिखित नीति निर्धारित की गई है।

1. छात्र/छात्राएं वार्डन कार्यालय या चीफॅ वार्डन कार्यालय से आवेदन फार्म **निशुल्क** प्राप्त करे।

2. आवेदन फार्म भरकर चीफॅ वार्डन कार्यालय / वार्डन कार्यालय मे जमा करे। आवेदन फार्म के साथ परिचय पत्र एवं माहविद्यालय मे प्रवेश का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

3- आवंटन समिति प्राप्त आवेदनो का अवलोकन कर छात्र/छात्राओ को होस्टल में कक्ष आवटित करेगें। आवंटन मेरिट के आधार पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। कक्ष आवटन हेतु दिव्यांग छात्र/छात्राओं को भूतल तल पर कक्ष आवांटित किये जाएगें।

4. आवटित छात्र/छात्राओं की सूची महाविद्यालय एवं होस्टल नोटिस बोर्ड पर चसपा की जाएगी । तथा सूची की प्रति महाविद्यालय के लेखा शाखा एवं छात्रशाखा को भी प्रेषित की जावेगी।

5. छात्र/छात्रा, **कक्ष आवटिंत होने के पश्चात, लेखा शाखा, गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय में होस्टल की फीस जमा करे।** आवंटन के पश्चात अगर छात्र/छात्रा 15 दिवस के अन्दर फीस जमा नहीं करते है तो उनका आवटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। तथा प्रतीक्षा सूची में से अन्य छात्र/छात्रा को कमरा आवटिंत कर दिया जाएगा।

6. आवंटन पत्र एवं **जमा की हुई फीस की रसीद** के साथ छात्र/छात्रा समबधित वार्डन कार्यालय को सम्पर्क कर अपने कमरे का अधिपत्य प्राप्त करें।

चीफॅ वार्डन
गॉधी चिकित्साा महाविद्यालय भोपाल।